

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

19/01/25

पत्रावली
की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
बाबत दिनांक 22.02.2021 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस नहीं जा
रही है। जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी को प्रकरण में अस्थाई
निषेधाज्ञा की आवश्यकता नहीं है। चूंकि प्रकरण दिनांक 22.02.
2021 से न्यायालय में लम्बित है। वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा प्रस्तुत किये जाने के उपरांत 04 वर्ष व्यतीत होने के
पश्चात अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत
नहीं होता है। उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र मत में जबकि
प्रार्थी स्वयं की रुचि स्थगन प्रार्थना पत्र में नहीं है, हम उक्त
प्रार्थना पत्र को निस्तारित किया जाना न्यायोचित पाते हैं। पत्रावली
फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

10/10/25



उपखण्ड अधिकारी
कोटा